

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री बाल गोविन्द राम पिता स्व० राम सहाय राम, गृहस्थी स्थायी पता ग्राम-मेरु पोस्ट-बी०एस०एफ० कैम्प मेरु, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग अस्थायी पता-ग्राम-डुमर, पोस्ट-जगन्नाथधाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग एवं श्री महेन्द्र राम पिता स्व० वृजलाल राम, गृहस्थी पता ग्राम-मेरु, पोस्ट-बी०एस०एफ० कैम्प मेरु, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मेरु, थाना नं०-216, खाता संख्या-59 प्लॉट संख्या-3484, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसिमिल) (आठ डिसिमिल) भूमि इंदु देवी पति हरिश चन्द्र राम, गृहस्थी पता-ग्राम-बेरहो, पोस्ट-टाटीझरिया, थाना-टाटीझरिया, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकगण एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-323/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1816/रा० दिनांक 27.05.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1337 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

केता एवं विक्रेता अबुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत बुधन भुइया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 10.41 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 9.85 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-59/1 पर ऑनलाईन में बन्धन भुइया वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक नं०-1 के दादा तथा आवेदक नं०-2 के परदादा वगै० जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख

2

3

बैठवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 9.77 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधियाहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री बाल गोविन्द राम पिता स्व० राम सहाय राम, गृहस्थी स्थायी पता ग्राम-मेरु पोस्ट-बी०एस०एफ० कैम्प मेरु, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग अस्थायी पता-ग्राम-डुमर, पोस्ट-जगन्नाथधाम, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग एवं श्री महेन्द्र राम पिता स्व० वृजलाल राम, गृहस्थी पता ग्राम-मेरु, पोस्ट-बी०एस०एफ० कैम्प मेरु, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मेरु, थाना नं०-216, खाता संख्या-59 प्लॉट संख्या-3484, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि इंदु देवी पति हरिश चन्द्र राम, गृहस्थी पता-ग्राम-बेरहो, पोस्ट-टाटीझरिया, थाना-टाटीझरिया, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।